प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त, 2009 के प्राविधानानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में (1) सिविल सेवाओं (आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0) (2) इंजीनियरिंग (3) चिकित्सा (4) राज्य एवं केन्द्र सरकार की समूह ग (एस0एस0सी0 एवं राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित परीक्षाएं) (5) रक्षा सेवा के लिए कोचिंग संचालित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त वर्ग के छात्रों को गुणवत्तायुक्त, पारदर्शी एवं उपयुक्त वातावरण में कोचिंग प्रदान करने के लिए ऐसी शासकीय संस्थाऐं / विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी संगठन, जो कोचिंग एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों में संलग्न हैं तथा निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय एवं ऐसी संस्थाएं एवं संगठन, न्यास (ट्रस्ट), कम्पनी, साझा फर्म, विधिसम्मत पंजीकृत समितियॉ, औद्योगिक संस्थान आदि, जो रोजगारपरक पाठ्यक्रम / कोचिंग का संचालन करते हैं, से इस विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र / प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

–कोचिंग संस्थाओं हेतु पात्रता की शर्तें–

- संस्था में मानक के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक योग्य प्रशिक्षक कार्यरत होने चाहिये।
- संस्था को प्रशिक्षण प्रदान करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- कोचिंग संस्थाओं की न्यूनतम सफलता दर 15 प्रतिशत होनी चाहिये, सफलता दर 3 वर्ष की गतिशील औसत के आधार पर आंकलित की जायेगी।
- जिन कोचिंग संस्थान के छात्र प्रतिष्ठित विद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।
- संस्था के पास कम से कम 05 कक्षा कक्ष होने अनिवार्य होंगे, जिनमें आवश्यक आधारभूत सुविधायें जैसे ब्लैकबोर्ड, अद्यावधिक पुस्तकों से युक्त लाईब्रेरी, फर्नीचर (जिनमें मेज एवं कुर्सी अवश्य हों), 01 कार्यालय कक्ष एवं 01 काउसलिंग कक्ष, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था साथ ही 02 शौचालय (महिला एवं पुरूष) होने अनिवार्य हैं तथा कोचिंग संस्थाओं के पास ओडियो विज्यूल स्टडी मैटेरियल, इन्टरनेट की सुविधा, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, फोटो कॉपी, फैक्स मशीन होनी अनिवार्य है।
- संस्था द्वारा छात्रों को शिक्षा के अतिरिक्त अपने स्तर से क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, जैसे–स्टडी मैटेरियल, ड्रेस, टैबलेट, लैपटॉप आदि का विवरण प्रस्ताव में अंकित किया जायेगा।
- वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग ऑफलाईन / ऑनलाईन अथवा दोनों माध्यमों से दिये जाने की व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- यदि किसी संस्था द्वारा एक से अधिक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करायी जाती है तो उस संस्था को कोर्सवार पृथक–पृथक आवेदन करने होंगे।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम दो स्थानों पर (गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल) एक–एक स्थान अथवा अधिक स्थानों पर कोचिंग देने का प्रस्ताव है। इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं अपना आवेदन पत्र / प्रस्ताव समस्त अभिलेखों सहित **केवल पंजीकृत डाक** के माध्यम से दिनांक 01-10-2021 की सांय 5:00 बजे तक निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी–नैनीताल में उपलब्ध करायेंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः– प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति के द्वारा प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से प्राप्त वित्तीय दरों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त किया जायेगा।

अन्य विवरणः– अधिक जानकारी विभागीय बैवसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in, कार्यालय समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड अथवा निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल से भी प्राप्त की जा सकती है।

(राजेन्द्र कुमार)	(झरना कमठान)	07/9/21 (एल॰फैनई)
निदेशक,	अपर सचिव,	प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।	समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्र संख्या 1490 /स0क0/कोचिंग/विज्ञप्ति/2021–22 दिनाक 09 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के पृष्ठ पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल समाज कल्याण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं योजना से संबंधित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) को विभागीय बैवसाईट www.socialwelfare.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र कुमार)
निदेशक।